न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2021 (डूंगरपुर डिक्री)

1. अमरा पिता काला मीणा, निवासी लाम्बा भाटला, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. वक्सी पिता काला मीणा, निवासी लाम्बा भाटला, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मगन पिता राजेंग मीणा, निवासी लाम्बा भाटला, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. शंकर पिता राजेंग मीणा, निवासी लाम्बा भाटला, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. बसु पिता राजेंग मीणा, निवासी लाम्बा भाटला, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. कावा पिता राजेंग मीणा, निवासी लाम्बा भाटला, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती केसर बेवा राजेंग मीणा, निवासी लाम्बा भाटला, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. तहसीलदार (भूमिधारक), बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते ★ उदयपुर ★

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी बिछीवाड़ा
दिनांक 06.12.2019 प्र.सं. 25/2014

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री अब्दुल सलाम गौरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे. सं. 1 से 5

---::---

निर्णय **दिनांक 28–12–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 4012 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि मौजा लाम्बा भाटडा में स्थित है, प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं, जबकि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादी की आराजी नंबर 4012 रकबा 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

बीघा 18 बिस्वा से बेदखल कर कब्जा नहीं करें तथा किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे। दौराने वाद यदिद प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 4 तनकियात कायम की तथा दिनांक 06–12–2019 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट बीमार होने से एवं बाद में कोविट–19 महामारी के कारण लाक डॉउन होने से उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 18–03–2021 को नकलें प्राप्त होने पर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि दिनांक 20–03–2020 से 30–06–2020 तक लॉक डाउन था, बाकी दिनों में आवागमन चालू था। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। विलम्ब का कोई वाजिब कारण नहीं बताया है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कोविड–19 के कारण हुए लॉक डाउन एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

के जवाबदावे पर कोई गौर नहीं किया है। जवाबदावे में अपीलान्टगण ने अपने बाप–दादाओं के समय से पिछले 50 से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त होने का कथन किया है तथा अपीलान्ट का केलू पोश का मकान बना होकर बोरवेल लगा हुआ है तथा बिजली का कनेक्शन होकर थुअर की बाड़ लगी हुई है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर तनिक भी गौर नहीं किया है। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व व अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य की अनदेखी करते हुए वाद डिक्री किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 4012 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज रेकार्ड है। अपीलान्टगण स्वयं विवादित आराजी पर अपना 50 वर्षा से कब्जा बताते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप किया जाना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलान्टगण को वादीगण की खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है, जो उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–12–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28–12–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

अमरा पिता काला मीणा, निवासी लाम्बा भाटडा, फला दरियापाडा, त. बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य — बनाम — मगन पिता राजेंग मीणा, निवासी लाम्बा भाटडा, फला दरियापाडा, तहसील बिछीवाड़ा व अन्य

अपील नं.....05 / 2021.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....बिछीवाड़ा..... मुकाम.....मुवर्खे.....06.....माह.....12.....2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28....माह.....12.....सन् 2023 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी...श्री अब्दुल सलाम गौरी....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री लालसिंह चुण्डावत .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–12–2019 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....28.....माह.....12.....2023 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested